



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01102022-239278
CG-MH-E-01102022-239278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4374]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 28, 2022/आश्विन 6, 1944

No. 4374]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 28, 2022/ ASVINA 6, 1944

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

संशोधन अधिसूचना

मुम्बई, 28 सितम्बर, 2022

अधिसूचना संख्या 2391(अ) दिनांक 26/05/2022 को प्रकाशित, का शुद्धिपत्र

का.आ. 4563(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि जनता के लिए उद्देश्य, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, राजकोट - कनालूस गुजरात राज्य में जिला राजकोट में ब्रॉड गेज सिंगल लाइन का दोहरीकरण, एतद्वारा घोषित करता है ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का उसका इरादा. अधिसूचना में एक टंकण त्रुटि थी, जिसे ठीक करने की आवश्यकता है। जालिया गांव के लिए अधिसूचना में दिया गया निम्न सर्वेक्षण नंबर खिजड़िया गांव से संबंधित है। तदनुसार, शुद्धिपत्र जारी किया जाता है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है। उप-अनुभाग (1) उक्त अधिनियम की धारा 20डी: ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी नामतः प्रान्त अधिकारी राजकोट ग्रामीण, जिला राजकोट को लिखित में की जायेगी और उसके आधारों का उल्लेख किया जायेगा तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, या तो व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा और, ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच करने के बाद, यदि कोई सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को अनुमति या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (द्वितीय) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि योजना एवं अन्य विवरण उपलब्ध है तथा सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना के लिए संरचना के साथ या बिना अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण अर्थात्: गुजरात राज्य में राजकोट-कनालूस ब्रॉड गेज सिंगल लाइन का दोहरीकरण।

अधिसूचना संख्या का.आ. 2391 (अ) दिनांक 26.05.2022					अब इस अधिसूचना के अनुसार संशोधित किया गया			
गुजरात राज्य					जामनगर जिल्ला			
क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (स्क्वेअर मिटर)	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (स्क्वेअर मिटर)
1	धोल	जालीया (मानसर)	92	12701.13	धोल	खीजडीया	92	12701.13
2		जालीया (मानसर)	104	2012.45		खीजडीया	104	2012.45
3		जालीया (मानसर)	105	7280.66		खीजडीया	105	7280.66
4		जालीया (मानसर)	106	498.70		खीजडीया	106	498.70
5		जालीया (मानसर)	111	1605.90		खीजडीया	111	1605.90
6		जालीया (मानसर)	112	2102.82		खीजडीया	112	2102.82
7		जालीया (मानसर)	114	7059.30		खीजडीया	114	7059.30
8		जालीया (मानसर)	115	544.27		खीजडीया	115	544.27
9		जालीया (मानसर)	143	1033.23		खीजडीया	143	1033.23
10		जालीया (मानसर)	76	1842.57		खीजडीया	76	1842.57
11		जालीया (मानसर)	71	2811.03		खीजडीया	71	2811.03
12		जालीया (मानसर)	70	4350.86		खीजडीया	70	4350.86
13		जालीया (मानसर)	36	1632.09		खीजडीया	36	1632.09
14		जालीया (मानसर)	35	4432.56		खीजडीया	35	4432.56
15		जालीया (मानसर)	34	1397.48		खीजडीया	34	1397.48

[फा. सं. E-Office E-300405-1]

फतेह सिंह मीना, मुख्य परियोजना प्रबंधक- II (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

CORRIGENDUM NOTIFICATION

Mumbai, the 28th September, 2022

Corrigendum to Notification No. S.O. 2391(E), published on Dt.26/05/2022

S.O. 4563(E).—In exercise of the power conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Rajkot-Kanalus doubling of Broad Gauge single line in District Rajkot in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land. There was a typographical error in notification, which is required to be corrected. The following survey number given in the notification for Jaliya village pertains to Khijadiya village. Accordingly, corrigendum is issued.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Prant Officer Rajkot Rural, District Rajkot, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: Rajkot-Kanalus doubling of Broad-Gauge single line in the state of Gujarat.

Issued vide Notification No. S.O. 2391(E) dated 26.05.2022					Now corrected as per this Notification			
Sr. No.	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Area of Land to be Acquire (in Sqm.)	Name of Taluka	Village Name	Survey No.	Area of Land to be Acquire (in Sqm.)
Gujarat State					Jamanagar District			
1	Dhrol	Jaliya (Mansar)	92	12701.13	Dhrol	Khijadiya	92	12701.13
2		Jaliya	104	2012.45		Khijadiya	104	2012.45
3		(Mansar)	105	7280.66		Khijadiya	105	7280.66
4		Jaliya	106	498.70		Khijadiya	106	498.70
5		(Mansar)	111	1605.90		Khijadiya	111	1605.90
6		Jaliya	112	2102.82		Khijadiya	112	2102.82
7		(Mansar)	114	7059.30		Khijadiya	114	7059.30
8		Jaliya	115	544.27		Khijadiya	115	544.27
9		(Mansar)	143	1033.23		Khijadiya	143	1033.23

10		Jaliya	76	1842.57		Khijadiya	76	1842.57
11		(Mansar)	71	2811.03		Khijadiya	71	2811.03
12		Jaliya	70	4350.86		Khijadiya	70	4350.86
13		(Mansar)	36	1632.09		Khijadiya	36	1632.09
14		Jaliya	35	4432.56		Khijadiya	35	4432.56
15		(Mansar)	34	1397.48		Khijadiya	34	1397.48

[F. No. E Office E- 300405-1

FATEH SINGH MEENA, Chief Project Manager – II (Cons.)